18

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2302–तीन/2006 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 12–9–2006– पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्र0क0 334/1997–98 अपील

1– अशोक सिंह 2– वृजेश सिंह
3– भूपेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व.लालबहादुर सिंह
ग्राम छिपौरा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– इन्द्रपाल सिंह तनय रामकिशोर सिंह कुर्मी
ग्राम सोनवर्षा तहसील रामपुर वाघेलान
2– अभिमन्यु प्रताप सिंह 3– आनन्दप्रताप सिंह
4– योगेशप्रताप सिंह पुत्रगण स्व. इन्द्रराज सिंह
5– श्रीमती उषासिंह पत्नि स्व. अनुरूद्धप्रताप सिंह
पुत्री स्व. इन्द्रराज सिंह
6– शेरबहादुर सिंह पुत्र जगतदेव सिंह
7– बीरबहादुर सिंह पुत्र जगतदेव सिंह
सभी ग्राम छिपौरा तहसील रामपुर वाघेलान
8– भोलाप्रताप सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह निवासी
एमआईजी 1/1/17 इन्द्रानगर रीवा
9– हनुमानप्रताप सिंह पुत्र स्व.महेन्द्र सिंह निवासी
ग्राम छिपोरा तहसील रामपुर वाघेलान
10–रावेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह निवासी
ग्राम विहा सेमरिया रोड रामपुर वाघेलान तहसील सतना
11– यादवेन्द्र सिंह 12– जीवेन्द्र सिंह पुत्रगण जगतपसिंह
12– श्रीनिवास सिंह मृत वारिस
1. जिगरेश प्रताप सिंह
2. नौरंगसिंह

कृ0पृ030---2

3. नरेन्द्रसिंह
4. राजबहादुर सिंह
5. मोहन सिंह
6. सत्येन्द्र सिंह
7. श्रीमती श्री निवास सिंह

13-भुवनेश्वर सिंह पुत्र रणवीर सिंह
14-उपेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह
सभी ग्राम छिपौरा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)

आ दे श
(आज दिनांक 1 – 8 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 334/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त छिवौरा व्दारा प्रकरण कमांक 16 अ-6/1994-95 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 28-7-97 के विरूद्ध आवेदकगण के स्वर्गीय पिता ने अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 140/94-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-7-97 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 334/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने, निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय में इन्द्रपाल सिंह ने अपॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24-10-94 पर से नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। रिस्पा. जगत सिंह आदि ने विक्रय पत्र को स्टाम्प कलेक्टर के यहां से इम्पाउन्ड कराया है इस अपंजीकृत विक्रय पत्र की मुद्रांक शुल्क 1090/-रू. तथा अर्थदण्ड 5450/-रू. कुल 6540/-रू. तत्समय जर्य चालान शासकीय कोष में जमा कराया गया है। इस प्रकार यह विक्रय पत्र असल विक्रय पत्र की श्रेणी में मान्य किया गया है। तहसील न्यायालय में विक्रय पत्र के साक्षीगण ने विक्रय पत्र संपादित होना कथित किया है, जिसके कारण नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त छिवौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 16 अ-6/1994-95 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 28-7-97 में अनुविभागीय अधिकारी ने हस्तक्षेप नहीं किया है तथा नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-7-97 को, अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 28-7-97 को अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 334/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2006 से पुष्टिकृत किया है जिसके कारण तीनों न्यायालयों के आदेश समरूप होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं हैं

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 334/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर